

आज अदालत :-

उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा

किस मुकदमा :-

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वार्स/उत्पधिकारी होना मानते हुए 24/10/25
 प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि शमस्वरूप
 का वकील के आधार पर उत्पधिकारी घोषित
 होने से पूर्व साक्षात् किया जाना उचित प्रतीत
 नहीं होता। अतः प्रा.पत्र प्रार्थी आदेश 1 मिमम
 10/10/25 08-22 R 3, 4 5 & 151 CPC अर्थात्
 पर रजिस्ट्रार की जाती है पुनः शमस्वरूप के विधिक
 उत्पधिकारियों के साथ प्रा.पत्र कामम मुकामान
 पेश हो है पंजावली वान्ते जवाब प्रा.पत्र 08-1 R-10
 CPC एवं पेश करने प्रा.पत्र कामम मुकामान दिनांक
 30/10/25 को पेश हो है

XX

30/10/25 वकिल उप. प्रा.पत्र 08-1 R-10 CPC पेश करने
 प्रा.पत्र कामम मुकामान शमस्वरूप हेतु पंजावली
 दि. 25/11/25 को पेश हो है

XX

25/11/25 वकील प्रतिवादी 34 है शमस्वरूप के कामम
 मुकामान हेतु प्रा.पत्र पेश नहीं किया। पेश हो
 पंजावली वान्ते पेश करने प्रा.पत्र 08-1 R-10 एवं
 वान्ते कामम मुकामान दि. 23/12/25 को पेश
 हो है

XX

23/12/25 वकीलवादी अनुप. वकीलवादी एवं वादी
 अनुप. वकीलवादी एवं वादी को समय
 लम्बे समय पर रूक -2 कर आवाज
 दिलानी गयी किंतु पेशवी हेतु को
 उप. नहीं हुआ। अतः वाद वादी

लेखा
दर्ज नम्बर

प्र.सं. / दावा / प्र.पत्र /

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अदम दाजरी अदम पेशी में खारिज किया
जाता है। पत्रा. फैसल शुमार होकर नम्बर
के कम हो। बाद तामील तकमील नियमाकुमार
दाखिल दफ्तर हो।

पत्र

आदेश
इस हुकम
तामील
जारी हो

6 -
2/2/79